सत्यमेव जयते

संघ लोक सेवा आयोग

विज्ञापन सं. 10

वेबसाइट http:// www-upsconline.nic-in के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती संबंधी निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित करता है।

रिक्तियों का विवरण (वेबसाइट http:// www-upsconline.nic-in) का प्रयोग करते हुए

1. (रिक्ति सं. 11051001528)

अड़तीस विपणन अधिकारी (ग्रुप–1) (सर्वेक्षण प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण) विपणन निरीक्षण निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय. अड़तीस पदों में से, सात पद अ.जा., पांच पद अ.ज.जा. तथा पन्द्रह पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. अड़तीस पदों में से, तीन पद अशक्तता वाले शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् अस्थि विकलांग/ चलने में असमर्थ/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात – एक पैर प्रभावित (ओ.एल.)/एक हाथ (ओ.ए.) प्रभावित उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित है जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं. ये पद अशक्तता वाले शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात – एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) / एक हाथ (ओ.ए.) प्रभावित उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं. **अ.यो. : क : शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि विपणन या अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र सहित वाणिज्य में मास्टर डिग्री. **ख : अनुभव :** सहकारी विपणन सहित कृषि विपणन के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव या भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विपणन प्रबंधन में डिप्लोमा या समकक्ष. **कार्य :** कृषि वस्तुओं के ग्रेड तथा ग्रेड मानकों को सूत्रबद्ध करने सहित ग्रेडिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्य में सहायता करना. कृषि उत्पादों के विपणन तथा तकनीकी रिपोर्टों का मसौदा तैयार करने में आने वाली समस्याओं से संबंधित शोध अध्ययन के संचालन में सहायता करना. कृषि वस्तुओं के संबंध में क्षेत्र स्तर पर विपणन परिस्थितियों की जांच तथा सर्वेक्षण करना और संगत आंकड़ों का संकलन, संचयन तथा व्याख्या करना।

2. (रिक्ति सं. 11051002628)

तीन वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड–I (इलेक्ट्रॉनिकी), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय. तीन पदों में से एक पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. ये पद अशक्तता वाले शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् – श्रवण बाधित (एच.एच.) या अस्थि विकलांग/चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात – ओ.एल. (एक पैर प्रभावित) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं. **अ. यो. : क : शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकी / इलेट्रॉनिकी तथा संचार इंजीनियरी में बी.ई. / बी.टेक. या इलेक्ट्रॉनिकी में विशेषज्ञता सहित भौतिकी में एम.एससी. या समकक्ष. **ख : अनुभव :** इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार उपकरणों के उत्पादन / विकास / गुणवत्ता आश्वासन में चार वर्ष का व्यावहारिक अनुभव. **वां.यो. :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकी / इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या इलेक्ट्रॉनिकी में विशेषज्ञता सहित भौतिकी में डाक्ट्रेट डिग्री या समकक्ष. (ii) जर्मन, फ्रैंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा की जानकारी. **कार्य :** विनिर्दिष्टियां तैयार करना तथा मदों / सामग्रियों की खरीद से संबंधित दस्तावेजों का अनुशीलन करना. उपकरणों, प्रणालियों / उप–प्रणालियों तथा सेवाओं द्वारा संगत विषयों से संबंधित मंगाई गई सामग्रियों का तकनीकी मूल्यांकन, परीक्षण, निरीक्षण तथा गुणवत्ता आश्वासन संबंधी कार्य करना. विभिन्न निर्धारित मानकों / विनिर्दिष्टियों के अनुसार परीक्षण सुविधाओं का सृजन करना. मदों / सामग्रियों का इंजीनियरी अध्ययन संबंधी मूल्यांकन करना. उत्पाद सुधार, प्रणालियों / उत्पादों का स्वदेशीकरण तथा उनसे संबंधित विकास कार्य करना. उद्योग जगत से तालमेल रखना तथा क्षमता / सामर्थ्य रिपोर्ट तैयार करना. तकनीकी दस्तावेज तैयार करना. परीक्षणशालाओं का प्रबंधन।

3. (रिक्ति सं. 11051003628)

चार वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड–I (धातुविज्ञान), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय. चार पदों में से एक पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. ये पद अशक्तता वाले शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् – श्रवण बाधित (एच.एच.) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात – ओ.एल. (एक पैर प्रभावित) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं. **अ.यो. : क: शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. (धातु विज्ञान)/ बी.टेक. (धातुविज्ञान) या समकक्ष. **ख : अनुभव :** धातु विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन / विकास / उत्पादन में चार वर्ष का व्यावहारिक अनुभव. **वां.यो. :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.टेक. (धातुविज्ञान) या समकक्ष. (ii) जर्मन, फ्रैंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा की जानकारी. **कार्य :** उपर्युक्त मद सं. 2 के अनुरूप।

4. (रिक्ति सं. 11051004628)

तीन वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड–II (सशस्त्रीकरण), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय. तीन पदों में से एक पद अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. ये पद अशक्तता वाले शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात–श्रवण बाधित (एच.एच.) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात – ओ.एल. (एक पैर प्रभावित) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं. **अ. यो. : क : शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी या उत्पादन इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष. **ख : अनुभव :** सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गोला बारूद तथा हथियारों के उत्पादन / विकास / गुणवत्ता आश्वासन में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव. **वां.यो. :** जर्मन, फ्रैंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा की जानकारी. **कार्य :** उपर्युक्त मद सं. 2 के अनुरूप.

5. (रिक्ति सं. 11051005228)

चार अपर शासकीय अधिवक्ता (भारतीय विधिक सेवा का ग्रेड–II, शासकीय अधिवक्ता संवर्ग, केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग तथा शाखा सचिवालय मुंबई तथा कोलकाता), विधिक कार्य विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय. चार पदों में से एक पद अ.जा. तथा एक पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. ये पद अशक्तता वाले शारीरिक विकलांग अर्थात् श्रवण बाधित (आंशिक बधिर) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक–पैर प्रभावित (ओ.एल.) या दोनों पैर प्रभावित (बी.एल.), लेकिन दोनों हाथ प्रभावित नहीं या एक हाथ प्रभावित (ओ.ए.) (दायां या बांया) (क) कमजोर पहुंच, (ख) कमजोर पकड़ (ग) गतिभ्रम (एटैक्सिक) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं. **अ.यो. : क : शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समकक्ष. **ख : अनुभव :** आवेदक कम से कम तेरह वर्ष की अवधि तक किसी राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो अथवा किसी राज्य के विधिक विभाग में कम से कम तेरह वर्ष तक किसी उच्च पद पर रहा हो अथवा केन्द्र सरकार का ऐसा कर्मचारी हो, जो विधिक कार्यों में कम से कम तेरह वर्ष का अनुभव रखता हो अथवा अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी हो. **टिप्पणी – 1 :** "अर्हताप्राप्त विधिक व्यवसायी" से आशय ऐसे अधिवक्ता या प्लीडर से है, जिसने इस हैसियत से कम से कम तेरह वर्ष तक प्रेक्टिस की हो या मुम्बई या कोलकाता उच्च न्यायालय का ऐसा अटार्नी हो, जिसने ऐसे अटार्नी के रूप में कम से कम ग्यारह वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या ऐसे अटार्नी तथा अधिवक्ता के रूप में कुल मिलाकर 11 वर्ष तक प्रेक्टिस की हो. **टिप्पणी –2 :** उस अवधि की गणना करते समय, जिसके दौरान कोई व्यक्ति राज्य न्यायिक सेवा में किसी पद पर रहा हो या केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत विधिक विभाग में रहा हो, वह अवधि भी शामिल की जाएगी, जिसके दौरान वह व्यक्ति उपर्युक्त में से किसी भी पद पर रहा/रही हो या वह अवधि, जिसके दौरान वह विधिक व्यवसायी रहा / रही हो. **टिप्पणी – 3 :** उस अवधि की गणना करते समय, जब कोई व्यक्ति "अर्हताप्राप्त विधिक व्यवसायी" रहा हो, वह अवधि भी शामिल कर ली जाएगी, जिसके दौरान वह राज्य की न्यायिक सेवा में किसी पद पर रहा/रही हो या राज्य के विधिक विभाग में किसी उच्च पद पर रहा/रही हो या विधिक कार्यों में अनुभव रखने वाला केन्द्र सरकार का कोई कर्मचारी हो. **टिप्पणी – 4 :** अभियोजन कार्य में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को (राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य या विधिक व्यवसायी न होने पर) वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा, उम्मीदवार को समय–समय पर यथासंशोधित सर्वोच्च न्यायालय नियमावली, 1950 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में नामांकन तथा उक्त नियमों के अंतर्गत उस न्यायालय के रिकार्ड में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण का पात्र होना चाहिए. **कार्य :** भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा भेजे गए सभी मामलों पर सलाह देना. सरकारी मुकदमेबाजी के कार्यों को देखना. अदालती मामलों का संचालन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र सरकार की ओर से न्यायालयों में पेश होना तथा सौंपे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य कार्य करना. **मुख्यालय :** भारत में कहीं भी कार्य करने के दायित्व सहित नई दिल्ली/मुंबई/कोलकाता.

6. (रिक्ति सं. 11051006228)

सात सहायक विधिक सलाहकार (भारतीय विधिक सेवा का ग्रेड–IV, विधिक सलाहकार संवर्ग, मुख्य सचिवालय तथा शाखा सचिवालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा बंगलुरू), विधिक कार्य विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय. सात पदों में से एक पद अ.ज.जा. तथा एक पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. यह पद अशक्तता वाले शारीरिक विकलांग अर्थात् श्रवण बाधित (आंशिक बधिर) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक–पैर प्रभावित (ओ.एल.) या दोनों पैर प्रभावित (बी.एल.), लेकिन दोनों हाथ प्रभावित नहीं या एक हाथ प्रभावित (ओ.ए.) (दायां या बांया) (क) कमजोर पहुंच, (ख) कमजोर पकड़ (ग) गतिभ्रम (एटैक्सिक) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं. **अ.यो. : क : शैक्षिक:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समकक्ष. **ख : अनुभव :** आवेदक कम से कम सात वर्ष की अवधि तक किसी राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो अथवा किसी राज्य के विधिक विभाग में कम से कम सात वर्ष तक किसी उच्च पद पर रहा हो अथवा केन्द्र सरकार का ऐसा कर्मचारी हो, जो विधिक कार्यों मे कम से कम सात वर्ष का अनुभव रखता हो अथवा विधि में मास्टर डिग्री रखता हो तथा विधि अध्यापन तथा शोध में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो अथवा 30 वर्ष की आयु वाला अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी हो. **टिप्पणी – 1 :** "अर्हताप्राप्त विधिक व्यवसायी" से आशय ऐसे अधिवक्ता या प्लीडर से है, जिसने इस हैसियत से कम से कम सात वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या मुम्बई या कोलकाता उच्च न्यायालय का ऐसा अटार्नी हो, जिसने इस हैसियत में कम से कम 5 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या ऐसे अटार्नी तथा अधिवक्ता के रूप में कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष तक प्रैक्टिस की हो. **टिप्पणी–2 एवं 3 :** उपर्युक्त मद सं. 5 के अनुरूप : **टिप्पणी – 4 :** विधिक परामर्श कार्य में अनुभव रखने वाले व्यक्ति (राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य या विधिक व्यवसायी न होने पर) को वरीयता दी जाएगी. **कार्य :** उपर्युक्त मद सं. 5 के अनुरूप. **मुख्यालय :** भारत में कहीं भी कार्य करने के दायित्व सहित नई दिल्ली / मुंबई / चेन्नई / कोलकाता / बंगलुरू.

7. (रिक्ति सं. 11051007228)

आठ सहायक प्रोग्रामर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.). आठ पदों में से एक पद अ.जा., एक पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. आठ पदों में से दो पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित दो पदों में से एक पद अशक्तता वाले उम्मीदवारों अर्थात् – आंशिक श्रवण बाधित तथा एक पद अशक्तता वाले उम्मीदवारों अर्थात् अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात – एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) (निचले अंगों में असमर्थता) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं. ये पद अशक्तता वाले शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों, अर्थात् – आंशिक श्रवण बाधित या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात – एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) (निचले अंगों में अशक्तता) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है, जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं. **अ. यो : शैक्षिक : क :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता सहित) में मास्टर डिग्री या कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी.ई. / बी.टेक. या समकक्ष **अथवा ख :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष तथा (ii) वास्तविक प्रोग्रामण में अनुभव सहित इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में दो वर्ष का अनुभव **अथवा ग :** (i) कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) कार्यक्रम द्वारा प्रत्यायित इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत "ए" स्तर का डिप्लोमा या कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया गया स्नातकोत्तर डिप्लोमा **तथा** (ii) वास्तविक प्रोग्रामण में अनुभव सहित इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में तीन वर्ष का अनुभव. **वां.यो. :** सी., सी++ या विजुअल सी++ तथा ओरेकल में प्रोग्रामण की जानकारी, सापेक्ष आंकड़ा आधारित कार्यक्रम प्रबंधन प्रणाली (आर.डी.बी.एम.एस.), यूनिक्स/यूनिक्स जैसी प्रचालन प्रणाली/विंडो नेटवर्किंग या विंडो एन्वायरमेंट के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रणाली आधारित

रिलेशनल डेटा आधारित प्रबंधन प्रणाली (आर.आई.एस.सी.) में अनुभव. **कार्य :** प्रणालियों का विकास तथा क्रियान्वययन, सी बी आई की परियोजनाओं का डाटाबेस बैकअप तथा पुनः प्राप्ति. लेन तथा ओरेकल डाटाबेस सर्वर का प्रबंधन तथा सुरक्षा. क्षेत्रीय तथा प्रधान कार्यालय के सर्वर के बीच संपर्क एवं समन्वय बनाए रखना. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना. **मुख्यालय :** भारत में स्थित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की किसी भी शाखा में.

महत्वपूर्ण	
आन लाइन भर्ती आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख 16.6.2011 है।	वेबसाइट पर ऑनलाइन भर्ती आवेदन में उम्मीदवार द्वारा चुने गए माध्यम के अनुसार दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख एवं समय दिनांक **30.6.2011** को **23.59** बजे तक डाक द्वारा / दस्ती तौर पर – **30.6.2011**
हर प्रकार से सभी उम्मीदवारों की पात्रता के निर्धारण की अंतिम तारीख अर्थात ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी।	

टिप्पणी :

(क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के लिए ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को न लिखें. उनसे यह भी अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले नीचे प्रकाशित पदों के विवरण तथा अनुदेशों के साथ–साथ आनलाइन भर्ती आवेदन (ओ आर ए) वेबसाइट **http://www.upsconline.nic.in** पर दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें.

(ख) पदों का स्वरूप : अन्यथा उल्लिखित पदों के अतिरिक्त सभी पद सामान्य केन्द्रीय सेवा से संबंधित हैं।

i) क्रम सं. **1, 5, 6** तथा **7** वाले पद स्थायी हैं।

ii) क्रम सं. **2, 3** तथा **4** वाले पद अस्थायी हैं।

(ग) वेतनमान तथा वर्गीकरण : वेतनमान के अंत में कोष्ठक में दी गई संख्याएं न्यूनतम वेतनमान पर यात्रा भत्ता तथा म.कि.भ. को छोड़कर लगभग समस्त परिलब्धियों (प्रतिमाह) को दर्शाती हैं।

i) मद सं. **5** वाले पदों के लिए : 37400–67000/– (वेतन बैन्ड–4) + 8700/– रु. (ग्रेड वेतन) (कु. प. 69611/– रु.) भारतीय विधिक सेवा, ग्रुप "क" राजपत्रित।

ii) मद सं. **6** वाले पदों के लिए : 15600–39100/–(वेतन बैन्ड–3) + 6600/– रु. (ग्रेड वेतन) (कु. प. 33522/– रु.) भारतीय विधिक सेवा, ग्रुप "क" राजपत्रित।

iii) मद सं. **2** तथा **3** वाले पदों के लिए : 10000–325–15200/– (संशोधन–पूर्व) (कु. प. 33000/– रु.) रक्षा गुणवत्ता आश्वासन सेवा, ग्रुप "क"।

iv) मद सं. **1** तथा **7** वाले पदों के लिए : 9300–34800/– (वेतन बैन्ड–2) + 4600/– रु. (ग्रेड वेतन) (कु. प. 20989/– रु.) ग्रुप "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय.

v) मद सं. **4** वाले पदों के लिए : 8000–275–13500/– (संशोधन–पूर्व) (कु. प. 30000/– रु.) रक्षा गुणवत्ताग आश्वासन सेवा, ग्रुप "क"।

(घ) 16.06.2011 सामान्य अंतिम तारीख को आयु सीमा :–

i) **50** वर्ष से अधिक नहीं : क्रम सं. **5** वाले पदों के लिए

ii) **40** वर्ष से अधिक नहीं : क्रम सं. **2, 3** तथा **6** वाले पदों के लिए

iii) **35** वर्ष से अधिक नहीं : क्रम सं. **4** वाले पदों के लिए

iv) **30** वर्ष से अधिक नहीं : क्रम सं. **1** तथा **7** वाले पदों के लिए

(ङ) सभी क्रम संख्याओं के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है और अ.जा. तथा अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में पांच वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट है. अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफार्मे में अन्य श्रेणियों के लिए लागू आयु सीमा रियायत के लिए कृपया चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए अनुदेश और अतिरिक्त जानकारी के लिए संगत पैरा को देखें।

(च) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार अथवा अशक्त उम्मीदवार जैसाकि मद (मदों) के सामने दर्शाया गया है, उन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं लेकिन उपयुक्तं समझी गई हैं. तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा. कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने का पात्र माना जाएगा, जैसाकि नियमों के अंतर्गत अनुमेय है. अतः शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं।

(i) नियमों के अंतर्गत अनुमेय आरक्षण और अन्य रियायत एवं छूट केवल तभी मिलेगी जब शारीरिक रूप से अशक्तता की मात्रा 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है और पद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

(ii) नियमों के अंतर्गत अनुमेय अन्य रियायत एवं छूट केवल तभी मिलेगी जब शारीरिक रूप से अशक्तता की मात्रा 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है और पद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मींदवारों के लिए उपयुक्त है।

(छ) मुख्यालय : कुछेक पदों के सामने विशेष रूप से निर्दिष्ट स्थानों पर, अन्यथा भारत में या विदेश में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

(ज) परिवीक्षा : चुने गए व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार या तो :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या,

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जैरे इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया है. किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र प्रदान कर दिया गया हो।

टिप्पणी :– जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक है आयोग द्वारा उसके आवेदन–पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार उसे आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रदान कर देती है.

2. आयु सीमाएं :

पद के लिए आयु सीमा विज्ञापन में दर्शाई गई है. विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकृत आयु सीमा में कतिपय छूट के लिए रियायत तथा छूट संबंधी पैरा देखें.

3. न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं :

सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन में दी गई पद की अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अवश्य पूरा करना होगा. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले स्वयं इस बात से संतुष्ट हो लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता तो कम से कम पूरा करते ही हैं, पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

नोट I :– निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को रखने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते.

नोट–II : जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या अधिक हो तो आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों द्वारा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है.

(क) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं तथा अनुभव की अपेक्षा अधिक योग्यता और अनुभव के आधार पर **या**

(ख) संगत क्षेत्र में अनुभव के आधार पर **या**

(ग) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर **या**

(घ) प्राक्चयन परीक्षण आयोजित करके.

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें.

4. आवेदन शुल्क :

(क) उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में रु. 25/– (पच्चीस रुपए) की राशि एस.बी.आई. की किसी भी शाखा में नकद या एस.बी.आई. की नेट बैंकिंग सुविधा या वीसा / मास्टर क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करनी होगी.

(ख) अ.जा. / अ.ज.जा. / शारीरिक विकलांग / किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा. अ.पि.व. के पुरुष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें पूरा निर्धारित शुल्क देना होगा.

(ग) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा. इस प्रकार के निरसन के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

(घ) दिए गए शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में उनकी सैनिक सेवा की अवधि और उसमें 3 साल की अवधि जोड़कर बनने वाली अवधि तक इन शर्तों पर छूट दी जाएगी कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को (i) भूतपूर्व सैनिक द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 मास से कम न हो और (ii) उसकी वास्तविक आयु से सेवा की अवधि घटाने के फलस्वरूप बची आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो. यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तारीख को और 5 वर्ष आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण–पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के अंतर्गत उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा. इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पणी : ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त कर लिया हो, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है. तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के लिए पात्र नहीं होंगे.

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है. ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारियों के प्रमाणपत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए :–

(i) **ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :–**

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

नौ सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

(ii) **नौ सेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में :–**

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा,

नौ सेना : नौ सेना रिकार्ड, बंबई

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली

(ग) **केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :–** भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 10 वर्ष तथा अपिव के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 8 वर्ष) की छूट है. वे उम्मीदवार जो इस पैरे के अंतर्गत केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने के आधार पर आयु में छूट का दावा करते हैं उन्हें इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख के बाद में अपने नियोक्ता से कार्यालय के लैटर हैड पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केन्द्र सरकार का नियमित कर्मचारी है और वह नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन / घंटे वार भुगतान / संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है.

(घ) **उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आयु सीमा में छूट :** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों / क्रीड़ाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरुष / महिला खिलाड़ियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष (अ.जा. / अ.ज.जा. से संबंधित व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष तथा अ.पि.व. के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर अ.पि.व. व्यक्तियों को 8 वर्ष) तक की छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि वे

समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी करते हैं. इस उप–पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा. बर्मा सरकार के उस देश में संवैधानिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त हुए भारतीय कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु की कोई सीमा नहीं है. अन्य मामलों में, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आयु सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा और किसी को भी तीन वर्ष से अधिक की छूट प्रदान नहीं की जाएगी.

(ङ) **विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं या न्यायिक कार्रवाई के तहत अपने पतियों से पृथक हुई महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट :** विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक कार्रवाई के तहत अपने पति से पृथक हुई ऐसी महिलाओं को, जिनका पुर्नविवाह नहीं हुआ है, ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 40 वर्ष तक) तथा अ.पि.व. के सदस्यों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 38 वर्ष तक छूट प्राप्त है. इस उप–पैरा के अंतर्गत आयु में छूट चाहने वाली महिलाओं को निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे

(i) यदि विधवा है, तो अपने पति का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र कि उसने अब तक पुनर्विवाह नहीं किया है.

(ii) तलाकशुदा महिलाओं तथा न्यायिक कार्रवाई के तहत अपने पतियों से पृथक हुई महिलाओं के मामले में, सक्षम न्यायालय के निर्णय / डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें तलाक होने या न्यायिक कार्रवाई के तहत पृथक होने, जैसी भी स्थिति हो, की बात प्रमाणित की जा सके, तथा साथ में तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में इस आशय का शपथ–पत्र कि उन्होंने अब तक पुनर्विवाह नहीं किया है.

(च) उन व्यक्तियों को जो सामान्यतः 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों आयु सीमा में छूट : उन सभी उम्मीदवारों को जो सामान्यतः 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. इस उप पैरा के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उस जिला अधिकारी से या जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नामोद्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी से, जिसके क्षेत्राधिकार में उन्होंने सामान्यतः निवास किया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. छूट की यह अवधि 31.12.2011 तक लागू रहेगी.

(छ) **शारीरिक विकलांग (पी.एच.) व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट :** ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए दृष्टिहीन, मूक–बधिर और अस्थि विकलांग उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में आयु में 5 वर्ष (अनु.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को कुल 10 वर्ष और अ.पि.व. उम्मीदवारों को 8 वर्ष) की छूट है. इस उप पैरा के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि उनकी शारीरिक अशक्तता चालीस प्रतिशत या उससे अधिक है. किसी भी स्थिति में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" पदों के लिए सरकार द्वारा अलग–अलग निर्धारित शारीरिक आरोग्यता संबंधी मानदण्डों के अनुसार योग्य पाए जाने पर ही की जायेगी.

6. आवेदन किस प्रकार करें :

(क) उम्मीदवारों को वैबसाइट **http://www.upsconline.nic-in** के माध्यम से ही ऑन लाइन आवेदन करना होगा. डाक द्वारा / दस्ती रूप से आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और तत्काल रद्द कर दिया जाएगा.

(ख) निर्दिष्ट दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की प्रतियां ऑनलाइन या डाक द्वारा / दस्ती रूप से जिस माध्यम से चाहें, जमा करा सकते हैं.

(ग) वे उम्मीदवार जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन करना चाहिए और प्रत्येक पद के लिए निर्धारित ढंग से शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

(घ) संबंधित आवेदन सं. के लिए ओ.आर.ए. वेबसाइट से प्राप्त संलग्नकों की सूची के साथ निर्दिष्ट दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों को "डाक द्वारा" भेजने वाले उम्मीदवारों को उनके साथ 6.00 रुपए की डाक टिकट लगा एक पोस्टकार्ड, जिस पर उनका पता लिखा हो, संलग्न करना होगा. इस कार्ड में उन्हें विज्ञापन सं., आवेदित पद की रिक्ति सं. का भी उल्लेख करना चाहिए. संबंधित आवेदन सं. के लिए ओ.आर.ए. वेबसाइट से प्राप्त संलग्नकों की सूची के अनुसार निर्दिष्ट दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की पावती आयोग द्वारा इस कार्ड के माध्यम से उम्मीदवारों को भेजी जाएगी. उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि इस कार्ड के अलावा उन्हें अन्य कोई पावती नहीं भेजी जाएगी. यदि किसी उम्मीदवार को दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख से 15 दिनों के अंदर यह पोस्ट कार्ड प्राप्त नहीं होता है तो उसे संबंधित आवेदन सं. के लिए ओ.आर.ए. वेबसाइट से प्राप्त संलग्नकों की सूची प्रस्तुत करते हुए आयोग से लिखित जानकारी लेनी चाहिए.

7. दस्तावेज / प्रमाण–पत्र :

(क) उम्मीदवार को अपने ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) के साथ–साथ केवल निम्नलिखित दस्तावेज / प्रमाणपत्र या तो ऑनलाइन या डाक द्वारा / दस्ती रूप से किसी भी चुने गए माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

(क) दावा की गई शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के समर्थन में समस्त शैक्षिक वर्षों से संबंधित अंक तालिकाओं के विवरण के साथ–साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियां. डिग्री / डिप्लोमा उपलब्ध न होने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षों की अंक तालिकाओं के साथ–साथ अनंतिम प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे.

(ख) दावा की गई समकक्ष योग्यताओं के समर्थन के संबंध में प्राधिकारी सहित उस आदेश/पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो.

(ग) दावा किए गए सम्पूर्ण अनुभव के लिए संगठन (संगठनों)/ विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) जिसमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की निर्धारित प्रपत्र में स्वःप्रमाणित प्रतियां. इस प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) सहित उल्लेख किया जाना चाहिए. यदि पद से संबंधित अनुभव प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है किंतु उसमें ऊपर दर्शाया गया समस्त विवरण दिया गया है तो आयोग उस पर गुणों के आधार पर विचार करेगा.

(घ) चिकित्सीय स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पद पर नियुक्ति के पात्र शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र की एक स्व–प्रमाणित प्रति.

टिप्पणी – I : ओ.आर.ए. वेबसाइट पर चुने गए माध्यम पर आधारित ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) के सफलतापूर्वक जमा किए जाने के बाद (इसमें शुल्क का भुगतान भी शामिल है) उम्मीदवारों के पास निर्दिष्ट दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के दो विकल्प होंगे :

स्कैन किए गए पी.डी.एफ. फार्मेट में ऑन लाइन माध्यम से

संबंधित आवेदन सं. के लिए ओ.आर.ए. वैबसाइट पर दी गई संलग्नकों की सूची सहित डाक द्वारा / दस्ती रूप से.

टिप्पणी – II : संबंधित आवेदन सं. के संबंध में ओ.आर.ए. वेबसाइट से मुद्रित संलग्नकों की सूची सहित दस्तावेज/प्रमाणपत्र **संयुक्त सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110069** को निर्धारित अंतिम तारीख से पहले पहुंच जाने चाहिए।

टिप्पणी – III : संबंधित आवेदन सं. के लिए जिन दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों के साथ ओ. आर.ए. वेबसाइट से प्राप्त संलग्नकों की सूची नहीं होगी या वे निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होते हैं तो उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और इस प्रकार उनका ऑनलाइन भर्ती आवेदन भी निरस्त हो जाएगा.

टिप्पणी – IV : उम्मीदवारों से अनुरोध है कि दस्तावेज / प्रमाण पत्र भेजते समय वे लिफाफे के ऊपर **"चयन द्वारा भर्ती"** मोटे शब्दों में लिखें.

टिप्पणी – V : उम्मीदवार अपने संबंधित आवेदन पत्र सं. के लिए ओ.आर.ए. वेबसाइट से मुद्रित संलग्नकों की सूची सहित अपने दस्तावेज/प्रमाण पत्र व्यक्तिगत रूप से समुचित पावती लेकर आयोग के काउंटर पर दस्ती रूप से जमा करा सकते हैं. आयोग कार्यालय, आयोग के किसी अन्य कर्मचारी को सौंपे गए दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी – VI : संबंधित आवेदन संख्या के संबंध में ओ.आर.ए. बेवसाइट से मुद्रित की गई संलग्नकों की सूची के साथ कोरियर या कोरियर सेवा जैसी किसी अन्य सेवा के माध्यम से आयोग काउंटर पर जमा किए गए दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों को **"दस्ती"** रूप से जमा किया माना जाएगा न कि **"डाक द्वारा"** प्राप्त माना जाएगा।

टिप्पणी – VII : उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से नोट कर लेना चाहिए कि आयोग किसी भी मामले में उनके दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने या उनकी प्राप्ति में किसी भी कारण से होने वाले विलंब के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा. निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और तदनुसार सभी संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके दस्तावेज/प्रमाणपत्र ओ.आर.ए. वेबसाइट से प्रिंटिड संलग्नक सूची तथा संबंधित आवेदन संख्या सहित निर्धारित अंतिम तारीख तक या उससे पहले आयोग कार्यालय में पहुंच जाएं.

(ख) साक्षात्कार के लिए भेजे गए बुलावा पत्र (समन लेटर) में निर्दिष्ट अन्य मदों सहित निम्नलिखित मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र उनकी स्व–प्रमाणित प्रतियों सहित, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी :

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाणपत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्म तिथि दर्शाई गई हो. जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र / अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा.

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के समर्थन में सभी शैक्षिक वर्षों की अंक तालिकाओं के साथ–साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे. डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे.

(ग) संगठन (संगठनों)/विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तारीख मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की स्व–प्रमाणित प्रतियां. इन प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप / प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए. अनुभव प्रमाण पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए. यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा.

(घ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति तथा उस अधिनियम/ आदेश का उल्लेख किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव / शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास करता हो.

(ङ) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तारीख को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है. जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, उक्त पद के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख निर्णायक तारीख के रूप में मानी जाएगी.

(च) चिकित्सा स्वास्थ्य के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(छ) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह होने पर या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

(I) **महिलाओं के विवाहित होने की स्थिति में –** पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ पत्र।

(II) **महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में –** पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ पत्र।

(III) **तलाकशुदा महिलाओं के मामले में –** तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/ शपथ पत्र, जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति.

(IV) अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में, एक पक्षीय विलेख/ शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख

दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति.

(ज) आयु में छूट के संबंध में प्रमाणपत्र :

(I) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भू. सै. तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

(II) केन्द सरकार/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से.

(III) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से.

(IV) विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक पृथक्करण के तहत अपने पति से अलग रह रही महिलाओं के लिए.

(V) वे व्यक्ति जिन्होंने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक सामान्यतः जम्मू कश्मीर में निवास किया हो.

(VI) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन/ घंटेवार भुगतान / संविदा आधार के अलावा स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है.

टिप्पणी I : मूल प्रमाणपत्र केवल साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

टिप्पणी II : जन्म् की तारीख के बारे में बाद में किसी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

टिप्पणी III : ऑनलाइन भर्ती आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को छोड़कर आवेदन पत्र में जो भी दावे किए हों, उनके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे.

टिप्पणी IV : साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करते समय, अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि की गणना नहीं की जाएगी.

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं. उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए.

जो उम्मीदवार निम्नलिखित कारण से आयोग द्वारा दोषी पाया जाता है.

(क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य सम्पन्न कराया हो, अथवा

(घ) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो, अथवा

(ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई हो, अथवा

(च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो, अथवा

(छ) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(ज) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा.

(झ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ज) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(ट) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाए हों,

(ठ) पूर्वोक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता हैं, और इसके साथ ही उसे –

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, अथवा

(ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :–

(iii) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(अ) यदि वह सरकार के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है.

9. अन्य सूचना/अनुदेश

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी स्वामित्व के औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन–पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन के माध्यम से भेजना चाहिए. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक दर/ घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारियों से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है.

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी.

(ग) अनिवार्य योग्यंताओं के बारे में समकक्ष योग्यता के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम (संख्या तथा तारीख) प्रस्तुत करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा.

(घ) यदि उम्मीदवारों से अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा. आयोग साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है. तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में इस यात्रा को करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेलवे किराए के वास्तविक खर्चे को, जो भी कम हो, को द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की दरों पर अपना अंशदान देता है. इसका ब्योरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा.

(ङ) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें आयोग द्वारा उनके द्वारा किराये पर किये गये खर्चों का भुगतान साक्षात्कार वाले दिन उसी तारीख को किया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्तें पूरी करतें हों जिन उम्मीदवारों को दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा.

(च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने से यह आश्वासन नहीं मिलता है कि उनका चुनाव कर लिया जाएगा. चुने हुए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे.

(छ) उम्मीदवार को शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए चुने जाने पर उन्हें ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकरण को संतुष्ट करना होगा जो सरकार अपेक्षा करे.

(ज) उम्मीदवारों को उनके आवेदन–पत्रों के परिणामों के बारे में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की गई अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा. आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोइ पत्र व्यवहार नहीं करता है.

(झ) आयोग अपने विवेक से विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है.

(ज) अपने पक्ष में किसी प्रकार का प्रचार करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

जांच सूची : ऑन–लाइन आवेदन या दस्तावेज / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित की जांच कर लें :

(क) कि कोई कॉलम गलत ढंग से नहीं भरा गया है या खाली नहीं छोड़ा गया है, क्यों कि उनमें दी गई सूचना के आधार पर ही साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित की जाएगी।

(ख) कि संगत क्षेत्र में सभी योग्यताएं तथा अनुभवों (निर्धारित न्यूगनतम योग्यताओं तथा अनुभवों के अलावा) का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना चाहिए क्योंकि उच्च अनुभव तथा/या योग्यताओं के आधार पर आयोग उम्मीदवारों की संख्या को एक यथोचित सीमा तक कम कर सकता है.

(ग) ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावों दी गई जानकारी के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिएं।

(i) शैक्षिक योग्यताओं के समर्थन में सभी वर्षों की अंक तालिकाओं के साथ साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र सभी वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण पत्रों पर भी विचार किया जाएगा.

(ii) निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र.

(iii) दावा की गई समकक्ष योग्यताओं के समर्थन में उस प्राधिकारी के आदेश / पत्र की प्रति (सं. तथा तारीख सहित) जिसके अंतर्गत ऐसा स्वीकार किया गया हो.

(iv) निर्धारित प्रपत्र में शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र.

(घ) संलग्न किए गए दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों में दी गई किसी सूचना पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऑनलाइन आवेदन में उसका उल्लेख न किया हो.

(ङ) भेजे जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण पत्र पर्याप्त समय के पहले आयोग में भेज दिए जाने चाहिएं जिससे कि ये दस्तावेज / प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख को या उससे पहले आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं।

(च) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि दस्तावेज / प्रमाण पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में **"चयन द्वारा भर्ती"** लिखें. दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के प्रत्येक सैट के लिए ओ.आर. वैबसाइट से ली गई संलग्न कों की सूची, संबंधित आवेदन सं. साथ होनी चाहिए और अलग–अलग लिफाफों का प्रयोग किया जाना चाहिए.

ये दस्तावेज/प्रमाण पत्र संयुक्त सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110069 को भेजे जाएं.

महत्वपूर्ण

(क) संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिसर साक्षात्कार हाल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

(ख) सरकार ऐसी श्रम शक्ति के लिए प्रयासरत है जो महिलाओं और पुरुषों के संतुलन को दर्शाती हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती हो.

(ग) यदि उम्मीदवार आवेदन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन/जानकारी/स्पष्टीकरण आदि चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं. 011–23385271 / 011–23381125/ 011–23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं.

निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र–I

(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमात्र–पत्र का फार्म:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* .... सुपुत्र /सुपुत्री* श्री .... जो गांव/कस्बा* .... जिला/ मंडल* ... . राज्य / संघ राज्य क्षेत्र* .... के / की* निवासी हैं .... जाति/ जनजाति * के /की * है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है : –

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) क्षेत्र राज्य क्षेत्र आदेश, 1951@

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) क्षेत्र राज्य क्षेत्र आदेश, 1951@

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुर्नगठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश के राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुर्नगठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित.

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 @ द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962@

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964@

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 @
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1991 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश, अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @

% 2. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रव्रजन कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी .... * .... ग्राम/कस्बा* .... ज़िला /मंडल*.................................. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*. .... जो .... जाति / जनजाति * से सम्बद्ध) है जिसे ....राज्य /संघ राज्य क्षेत्र * में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता / माता श्री /श्रीमती* .... को .... द्वारा दिनांक ....को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है.

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी * ....और / या* उनका परिवार साधारणतः गांव/कस्बा* ....ज़िला/मंडल*..................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र *..................................में रहते / रहती हैं।

स्थान.................................. हस्ताक्षर..................................
तारीख.................................. **पदनाम..................................
(कार्यालय की मुहर सहित)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
@कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश निर्दिष्ट करें।
%जो पैरा लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी – यहां साधारणतः रहते (रहती) हैं का अर्थ वह होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची।

(i) ज़िला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट† /सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर
† (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट से कम रैंक का न हो)।
(ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट /एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा (रैंक) तहसीलदार से कम न हो।
(iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार सामान्यतः रहता हो।
(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

प्रोफार्मा–II

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म *

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी* ....सुपुत्र/सुपुत्री/*श्री ....जो ज़िला/ मंडल * ....के गांव / कस्बा * .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र * ....के/की *निवासी हैं ....समुदाय से संबंधित हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है : –

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 186 में 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प सं0 12011/68/93–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 163 में 20 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 के संकल्प सं0 12011/9/94–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 88 में 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 24 मई, 1995 के संकल्प सं0 12011/7/95–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग–1, खंड 1, संख्या 60 में 11–03–1996 को प्रकाशित भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 09–03–1996 के संकल्प सं0 12011/96/94–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 210 में 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 के संकल्प सं0 12011/44/96–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 239 में 17 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 03 दिसम्बर, 1997 के संकल्प सं0 12011/13/97–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 236 में 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के संकल्प सं0 12011/99/94–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 241 में 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 के संकल्प सं0 12011/68/98–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 के संकल्प सं0 12011/88/98–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 71 में 4 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 4 अप्रैल, 2000 के संकल्प सं0 12011/36/99–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 210 में 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 21 सितम्बर, 2000 के संकल्प सं0 12011/44/99–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 246 में 6 दिसम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 के संकल्प सं0 12011/9/2000–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 19 जून, 2003 के संकल्प सं0 12011/1/2001–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 13 जनवरी, 2004 के संकल्प सं0 12011/4/2002–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 16 जनवरी, 2006 के संकल्प सं0 12011/9/2004–बी0 सी0 सी0।

@ भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग–1, खंड 1, संख्या 67 में 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 12 मार्च, 2007 के संकल्प सं0 12011/14/2002–बी0 सी0 सी0।

श्री/श्रीमती/कुमारी* ....और/या * उनका परिवार साधारणतः ज़िला/मंडल* .... के गांव/कस्बा* ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र * में निवास करते हैं.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह * कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8–9–1993 के का0 ज्ञा0 सं0 36012/22/93–स्था0 (एस सी टी) की अनुसूची के कॉलम–3 और दिनांक 9–3–2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004–स्था0 (आरक्षण) में दिए गए व्यक्तियों @ वर्गो * (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

स्थान.................................. हस्ताक्षर..................................
तारीख.................................. **पदनाम..................................
(कार्यालय की मुहर सहित)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें।
@ जो लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी :– "यहां साधारणतः रहते / रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

** अन्य पिछड़े वर्ग (ओ0 बी0 सी0) का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सूची. वही होंगे जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हैं।

(i) ज़िला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर /एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी† मजिस्ट्रेट/सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर
†(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट से कम रैंक का न हो)।
(ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट /एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा (रैंक) तहसीलदार से कम न हो।
(iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार सामान्यतः रहता हों
(अ) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी :–1 अन्य पिछड़े वर्गो का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि वे उनके प्रमाण–पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (उसकी वर्तनी सहित) केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित नाम के अनुरूप हो. जाति के नाम में भिन्नता पाये जाने वाले प्रमाण–पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

टिप्पणी :–2 उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग के होने का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) में जिसमें उसके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा. अतः जिस उम्मीदवार ने एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में प्रव्रजन किया हो, उसे अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे, उसके पिता के मूल रूप से संबंधित राज्य द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रदान किया गया हो।

टिप्पणी :–3 आयोग साधारणतः उम्मीदवार द्वारा पहले ही इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन पत्र में दर्शायी जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नही देगा।

प्रोफार्मा–III

(समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त) अ.पि.व. के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र

मैं..................................पुत्र/पुत्री श्री..................................जो गांव/नगर/शहर————————————जिला .... राज्य .... का/की निवासी हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं ....समुदाय से संबंधित हूं जिसे का. एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 8–9–1993 के का–ज्ञा–सं– 36102/22/93–स्था–(एस सी टी) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि दिनांक 8–9–1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 3, दिनांक 9–3–2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004–स्था– (आर) तथा दिनांक 14 अक्तूबर 2008 के का–ज्ञा–सं– 36033/3/2007–स्था–(आर) में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गो (क्रीमी लेयर) से संबंध नहीं रखता हूं.

हस्ताक्षर..................................
पूरा नाम ....
पता..................................

प्रोफार्मा–IV

खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के अलावा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीधी भर्ती के द्वारा सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत कि, जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

(क) सेवामुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के मामले में लागू होने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं..................................रैंक..................................नाम.................................. जिनकी जन्म तिथि .... है ने .... से ....तक सेना/नौ सेना/वायु सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं.

2. उन्हें सैन्य सेवाओं से कार्यमुक्त किया गया है :–

%क) दायित्वों के पूरे करने के अलावा
i. बर्खास्तगी द्वारा, या
ii. अक्षमता या दुर्व्यवहार के कारण सेवामुक्त करना, या
iii. व्यक्तिगत अनुरोध पर लेकिन पेंशन लिए बिना, या
iv. सेवामुक्ति में लंबन के कारण उन्हें रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

% ख) सैन्य सेवाओं से हुई शारीरिक अपंगता के कारण
% ग) अशक्तता के बाद सैन्य सेवा में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की है।

3. वह समय–समय पर यथा संशोधित (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों पर पुनः रोज़गार के लिए)

नियमावली, 1979 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के दायरे में आते हैं।

स्थान :................................ **सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक :................................ नाम तथा पदनाम

मुहर :

(ख) सेवारत कर्मचारियों के मामले में लागू होने वाले प्रमाण पत्र

(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू जिन्होंने वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)

प्रमाणित किया जाता है कि सं. ....रैंक ....नाम .... सेना/नौ सेना/वायु सेना में ....से................................तक कार्यरत है।

2. वे अपने दायित्व की विशिष्ट अवधि के पूर्ण होने पर................................को सेवामुक्त/सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

3. उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है।

स्थान :................................ **सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर,

दिनांक :................................ नाम तथा पदनाम

मुहर :

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र "ख" प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार (सेवारत कार्मिक) निम्नलिखित परिवचन देंगे।

सशस्त्र सेना के कार्मिक जिन्हें एक वर्ष के भीतर सेवा मुक्त किया जाना है के द्वारा दिया जाने वाला परिवचन

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन–प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय के संतोषजनक लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया है और यह कि समय–समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ।

स्थान :................................ उम्मीदवार के हस्ताक्षर एवं नाम

दिनांक :................................

(ग) उन ई0सी0ओ0/एस0एस0सी0ओ0 कार्मिक पर लागू होने वाला प्रारूप, जिन्होंने पहले ही सेवा की प्रारमिक नियुक्ति अवधि पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सं. .... रैंक .... नाम .... जिनकी जन्मतिथि .... है .... से सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवा कर रहे हैं।

2. उन्होंने पहले ही दिनांक .... को प्रारंभिक कार्यकाल में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और अब वे .... तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. उन्हें सिविल रोज़गार में आवेदन–पत्र देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्हें सिविल रोज़गार मिलने पर तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

स्थान : .... **सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर नाम और पदनाम

दिनांक : .... मुहर

****प्राधिकारी जो प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं निम्न प्रकार हैं :–**

(क) ई0सी0ओ0/एस0एस0सी0ओ0 सहित कमीशंड अधिकारियों के मामले में :–

सेना – सैन्य सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

नौ सेना – कार्मिक निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना – कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे0सी0ओ0/ओ0आर0 तथा नौ सेना तथा वायु सेना के समकक्ष के मामले में :–

सेना – विभिन्न रेजीमेन्टल अभिलेख कार्यालयों द्वारा।

नौ सेना – बीएबीएस, मुम्बई।

वायु सेना – वायु सेना अभिलेख, नई दिल्ली।

प्रोफार्मा–V

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम एवं पता

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित अक्षमता दर्शाने वाला हाल का फोटोग्राफ

प्रमाणपत्र सं. ....दिनांक..............................

अक्षमता प्रमाण–पत्र

मैनें, डॉ. ....पंजीयन संख्या. ...., श्री/श्रीमती/कु0 .... जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की जांच की और एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि वह निम्नलिखित श्रेणी के स्थायी रूप से अक्षम व्यक्ति हैं।

(क) गति या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

i) बीएल (BL)–दोनों पैर प्रभावित परन्तु भुजाएं नहीं।

ii) बीए (BA)–दोनों भुजाएं प्रभावित (क) क्षीण पहुंच (ख) कमजोर पकड़

iii) बीएलए (BLA)–दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं प्रभावित

iv) ओएल (OL)–एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (क) क्षीण पहुंच (ख) कमजोर पकड़ (ग) गतिविभ्रम (एटैक्सिक)

v) ओए (OA)–एक भुजा प्रभावित (क) क्षीण पहुंच (ख) कमजोर पकड़ (ग) गतिविभ्रम (एटैक्सिक)

vi) बीएच (BH)–सख्त पीठ या कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)

vii) एम डब्ल्यू (MW)–मांसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति

(ख) नेत्रहीनता या क्षीण दृष्टि

i) बी (B)–नेत्रहीन

ii) पीबी (PB)–आंशिक रूप से नेत्रहीन

(ग) श्रवण बाधित

i) डी (D)–बधिर

ii) पीडी (PD)–आंशिक रूप से बधिर

(जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें)

2. यह स्थिति बेहतर हो सकती है/बेहतर नहीं हो सकती है/इसमें सुधार की संभावना है/सुधार की संभावना नहीं है. इस मामले का पुनः मूल्यांकन करने की अनुशंसा की जाती है. ....वर्ष ....महीने के बाद इस मामले की पुनः मूल्यांकन की अनुशंसा की जाती है.

3. उनके/उनकी मामले में अक्षमता की प्रतिशतता .... प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी .... अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं पूरी करते/करती हैं :–

(i) एफ (F)–अंगुलियों को व्यवस्थित करके कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(ii) पीपी (PP)–खींचकर तथा धकेलकर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(iii) एल (L)–उठा कर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(iv) केसी (KC)–घुटने के बल पर बैठकर या क्राउचिंग द्वारा कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(v) बी (B)–झुककर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(vi) एस (S)–बैठकर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(vii) एसटी (ST)–खड़े रह कर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(viii) डब्ल्यू (W)–चलकर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(ix) एसई (SE)–देख कर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(x) एच (H)–सुन कर बोल कर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(xi) आर डब्ल्यू (RW)–पढ कर और लिखकर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(डॉ. ....)	(डॉ. ....)	(डॉ. ....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (मुहर सहित)

(जो लागू न हो उसे काट दें)

प्रोफार्मा–VI

केन्द्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आयु में छूट के लिए दावा करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का फार्म

फार्म–I

(मान्यताप्राप्त खेल/खेलकूदों में से किसी एक खेल का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)।

.... खेल की नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री ....निवासी ....(पूरा पता) ....ने दिनांक ....से ....तक ....में आयोजित ....के खेल/स्पर्धा ....में....................................प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देष का प्रतिनिधित्व किया. खिलाड़ी/टीम ने उपर्युक्त स्पर्धा/टूर्नामेंट में .... स्थान प्राप्त किया।

2. .... खेल की नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाण–पत्र दिया जा रहा है।

स्थान : .... हस्ताक्षर..................................

दिनांक :.................................. नाम ....

पदनाम ....

फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन का नाम ....

पता ....

मुहर..................................

नोट :– यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राज्य एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा।

फार्म–II

(किसी मान्यताप्राप्त खेल/खेलकूद में राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे भारत में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.... राज्य एसोसिएशन की ओर से .... खेल में भाग लिया प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री .... निवासी .... (पूरा पता)........... .... ने दिनांक .... से ————————तक ———————— में आयोजित.................................. खेल/स्पर्धा में राष्ट्रीय स्पर्धा/टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व किया.

2. .... राज्य एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।

स्थान : .... हस्ताक्षर..................................

दिनांक :.................................. नाम ....

पदनाम ....

फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन का नाम ....

पता ....

मुहर..................................

नोट :– यह प्रमाण पत्र राज्य एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा।

प्रोफार्मा–VII

सरकारी कर्मचारी द्वारा आयु में छूट के दावे के मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का फार्म :–

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी के पत्र शीर्ष पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री. ....संगठन/विभाग/मंत्रालय नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी है और उनके द्वारा अवधि (अवधियों) के दौरान निष्पादित किए गए कार्य निम्नानुसार हैः–

प्रमाणित किया जाता है कि :

*(क) श्री/श्रीमती/कुमारी ....दिनांक.................. से..................... तक ....संगठन/विभाग में नियमित रूप से कार्यालय/विभाग में..... ....के पद पर मूल रूप से स्थायी आधार पर हैं.

*(ख) श्री/श्रीमती/कुमारी .... दिनांक .... से ....तक सरकार के अंतर्गत .... कार्यालय/विभाग में केंद .... के पद पर नियमित आधार पर अस्थायी सेवा में लगातार कार्यरत हैं.

हस्ताक्षरः..................................

नाम :..................................

पदनाम :..................................

मंत्रालय/कार्यालयः..................................

स्थान :.................................. पताः..................................

दिनांक :.................................. कार्यालय की मुहर

प्रोफार्मा–VIII
उम्मीदवारों द्वारा अनुभव का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रपत्र
प्रपत्र–I

संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकारी का शीर्ष पत्र लेटर हैड

दूरभाष सं....................

फैक्स. सं. ....

संगठन का नाम

संगठन का पता

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस संगठन/विभाग/मंत्रालय का/की कर्मचारी था/थी/है और इस अवधि (अवधियों) के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

धारित पद का नाम	से दिन/महीना/वर्ष	तक दिन/महीना/वर्ष	कुल अवधि दिन/महीना/वर्ष	नियुक्ति की प्रकृति–स्थायी, नियमित, अस्थायी, अंशकालिक, संविदा आधार पर, अतिथि आधार पर, मानद आदि	विभाग/विशेषज्ञता/अनुभव का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

वेतनमान तथा आहरित किया गया अंतिम वेतन	निष्पादित कार्य/प्रत्येक पद पर प्राप्त. अनुभव का संक्षिप्त विवरण (यदि आवश्यकता हो तो संलग्न पत्रक पर विवरण दें) (चिकित्सीय पद होने की स्थिति में विशेषज्ञता के क्षेत्र का उल्लेख करें)	तैनाती का स्थान	पर्यवेक्षकीय स्तर पर/मध्य प्रबंधन स्तर पर/शाखा–अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया हो
(7)	(8)	(9)	(10)

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य तथा आंकड़े सही हैं तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों पर आधारित है.

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मोहर

प्रपत्र–II
अनुभव प्रमाण–पत्र
(डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अनुभव के लिए)

संस्थान / जारी करने वाले प्राधिकारी का शीर्ष पत्र (लेटर हैड)

दूरभाष सं. ....

फैक्स सं. ....

संगठन का नाम

संगठन का पता

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि डा. .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री ....(पंजीकरण सं. ....) दिनांक ....की अधिसूचना सं................................ के तहत..................................(पाठ्यक्रम का नाम) परीक्षा में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.)/डॉक्टर इन मेडिसिन (डी.एम.)/मेजिस्टर चिरूरजी (एम.सीएच.) का छात्र था. डा. ....को भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा ....(विशेषज्ञता का नाम) में डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. की डिग्री प्रदान की गई.

टिप्पणी – 1 : प्राप्त अनुभव वैध अध्यापन अनुभव के रूप में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त है (केवल चिकित्सीय अध्यापन पदों के लिए)।

टिप्पणी – 2 : चिकित्सा संस्था/कालेज जहां से अनुभव प्राप्त किया गया है, संबंधित चिकित्सा/प्राधिकाण द्वारा मान्यता प्राप्ता है (केवल चिकित्सीय पदों हेतू)।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य तथा आंकड़े सही है तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों पर आधारित है.

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मोहर

प्रपत्र–III
अनुभव प्रमाण–पत्र
(अधिवक्ताओं को बार संबंधी अनुभव के लिए)
संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकारी का शीर्ष पत्र लेटर हैड

दूरभाष सं. ....

फैक्स सं. ....

संगठन का नाम

संगठन का पता

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............. .... (पंजीकरण सं. ....) ....स्थित के. प्रशा., अधि./सत्र न्यायालय/उच्च न्यायायलय/सर्वोच्च न्यायालय में ....से .... तक अधिवक्ता के रूप में फौजदारी/दीवानी मामलों में, प्रैक्टिस कर रहे/रही हैं/कर चुके/चुकी हैं.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य तथा आंकड़े सही है तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्धत सेवा अभिलेखों पर आधारित है.

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मोहर